

प्रेस नोट
सराहनीय कार्य जनपद बागपत

दिनांक 08.11.2020

- थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा ग्राम हिसावदा में हुई युवक की हत्या में नामित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से निषादेही पर आला कत्ल 01 छुरा बरामद।
-

घटना का संक्षिप्त विवरण :-

दिनांक 07.11.2020 को वादी महताब पुत्र अब्दुल गफकार निवासी अषोक विहार थाना लोनी गाजियाबाद ने थाना आकर लिखित सूचना दी कि यशकान्त उर्फ यश मलिक पुत्र स्व0 जितेन्द्र निवासी ग्राम हिसावदा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ने वादी के भाई सरताज उम्र करीब 35 वर्ष की चाकू से वार कर हत्या कर दी है। इस सूचना पर थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0स0 369 / 2020 धारा 302,323,324 भादवि बनाम यशकान्त उर्फ यश मलिक उपरोक्त अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता :-

1—यशकान्त उर्फ यश मलिक पुत्र स्व0 जितेन्द्र निवासी ग्राम हिसावदा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण :-

1—निषादेही पर हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल एक छुरा।

पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण :-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत महोदय एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक बागपत महोदय के आदेशानुसार श्रीमान क्षेत्राधिकारी बागपत के कुशल निर्देशन में थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा आज दिनांक 08.11.2020 को सुबह समय करीब 09:15 बजे मुखबिर की सूचना पर हिसावदा डौला मार्ग पर निर्माणाधीन फार्म हाऊस के पास से हत्या की घटना में नामित अभियुक्त यशकान्त उर्फ यश मलिक पुत्र स्व0 जितेन्द्र निवासी ग्राम हिसावदा थाना सिंघावली अहीर जिला बागपत को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निषादेही पर हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल छुरा बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना सिंघावली अहीर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ के दौरान प्रकाश में आये तथ्य :-

गिरफ्तार अभियुक्त यशकान्त उर्फ यश मलिक ने पूछताछ पर बताया कि मृतक सरताज करीब पिछले आठ—दस वर्षों से परिवार सहित मेरे घर पर रहकर मजदूरी करता था। जिसने दो—तीन वर्ष पूर्व मुझसे 08 लाख रुपये उधार लिये थे। दिनांक 6/7.11.2020 की रात्रि में मेरे द्वारा अपने उधार दिये पैसे मांगने पर सरताज और मेरी कहासुनी हो गई तो सरताज ने मेरे सिर में बुगी का खलवा मार दिया जिससे मेरा सिर फूट गया। मैंने आवेश में आकर घर में रखे छुरे से सरताज के गले पर वार कर दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गयी।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण :-

1—श्री शिव प्रकाश सिंह (प्रभारी निरीक्षक)

2—उ0नि0 श्री भगवत स्वरूप

3—का0342 सुनील कुमार

4—का0 588 अजय कुमार

- जुआ अधिनियम के अन्तर्गत 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से ताष के 52 पत्ते व 1570 रुपये नगद बरामद।

थाना बडौत—पुलिस द्वारा दिनांक 07.11.2020 को कस्बा बडौत से सार्वजनिक स्थान पर हार जीत की बाजी लगाकर ताष के पत्तों से जुआ खेलते हुए अभियुक्त 1—दीपक पुत्र महीपाल 2—बाबूराम पुत्र महेन्द्र 3—जितेन्द्र पुत्र राममेहर निवासी मौहल्ला कष्यप गली कस्बा व थाना बडौत को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से ताष के 52 पत्ते व 1570 रुपये नगद बरामद किये गये। अभियुक्त के विरुद्ध थाना बडौत पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

➤ **षस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत 04 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 04 चाकू नाजायज बरामद।**

थाना बडौत—पुलिस द्वारा दिनांक 08.11.2020 को ग्राम खेडा हटाना से अभियुक्त 1—मोनू पुत्र रामनारायण 2—रामू पुत्र रामनारायण 3—अमन सैनी पुत्र कर्मसिंह निवासी ग्राम खामपुर थाना बडौत व बिजरौल चौराहे से अभियुक्त 4—नीरज पुत्र पीतम निवासी मौहल्ला रामनगर कस्बा व थाना बडौत को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 04 चाकू नाजायज बरामद किये गये। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना बडौत पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

➤ **अभियान के दौरान 12 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार।**

थाना बिनौली—पुलिस द्वारा दिनांक 08.11.2020 को वारण्टी अभियुक्त 1—मांगेराम पुत्र हुस्ना निवासी ग्राम जौहडी 2—अनिल पुत्र महावीर निवासी ग्राम सिरसलगढ़ 3—विजय पुत्र रामकिषन निवासी ग्राम चंदायन थाना बिनौली जनपद बागपत को गिरफ्तार किया गया।

थाना खेकडा—पुलिस द्वारा दिनांक 08.11.2020 को वारण्टी अभियुक्त 1—षानू उर्फ शाहनवाज पुत्र यासीन निवासी ग्राम रटौल 2—अमित उर्फ पैप्सी पुत्र धर्मपाल निवासी पटटी अहीरान कस्बा व थाना खेकडा जनपद बागपत को गिरफ्तार किया गया।

थाना छपरौली—पुलिस द्वारा दिनांक 08.11.2020 को वारण्टी अभियुक्त 1—वासिद पुत्र कमरू निवासी ग्राम टाण्डा 2—प्रवीण पुत्र सुखपाल निवासी ग्राम रठौडा थाना छपरौली जनपद बागपत को गिरफ्तार किया गया।

थाना रमाला—पुलिस द्वारा दिनांक 08.11.2020 को वारण्टी अभियुक्त 1—सत्तू पुत्र रामवीर निवासी ग्राम सूप 2—वैभव पुत्र योगेन्द्र निवासी ग्राम कासिमपुर खेडी थाना रमाला जनपद बागपत को गिरफ्तार किया गया।

थाना बालैनी—पुलिस द्वारा दिनांक 08.11.2020 को वारण्टी अभियुक्त 1—बोबी पुत्र महेन्द्र निवासी ग्राम मुकारी थाना बालैनी जनपद बागपत को गिरफ्तार किया गया।

थाना दोघट—पुलिस द्वारा दिनांक 08.11.2020 को वारण्टी अभियुक्त 1—सनी पंवार पुत्र प्रताप सिंह निवासी पटटी मादान कस्बा व थाना दोघट जनपद बागपत को गिरफ्तार किया गया।

थाना बडौत—पुलिस द्वारा दिनांक 08.11.2020 को वारण्टी अभियुक्त 1—सतीष पुत्र विजयपाल निवासी ग्राम मलकपुर थाना बडौत जनपद बागपत को गिरफ्तार किया गया।

➤ **पांच वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।**

थाना बडौत—पुलिस द्वारा दिनांक 08.11.2020 को मु0अ0स0 931/2020 धारा 498ए.342,307,323 भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में वांछित अभियुक्त 1—प्रवीण पुत्र बलजोर निवासी ग्राम बिजरौल थाना बडौत व मु0अ0स0 778/2020 धारा 363 भादवि में वांछित अभियुक्त 1—जतिन पुत्र अजय निवासी बडा डाकघर भिण्ड कोतवाली भिण्ड मध्यप्रदेश को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना बडौत पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना बिनौली—पुलिस द्वारा दिनांक 08.11.2020 को मु0अ0स0 294/2020 धारा 380 भादवि में वांछित अभियुक्त 1—चांद उर्फ भोपड पुत्र सहेन्द्र निवासी ग्राम बरनावा थाना बिनौली जनपद बागपत को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 02 पेटी अंग्रेजी षराब नाजायज बरामद की गई। अभियुक्त के विरुद्ध थाना बिनौली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना चांदीनगर—पुलिस द्वारा दिनांक 08.11.2020 को मु0अ0स0 195/2020 धारा 376,506 भादवि व 66ई आईटी एकट में वांछित अभियुक्त 1—अजय पुत्र जगमाल निवासी ग्राम टुकाली थाना चांदीनगर जनपद बागपत को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना चांदीनगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना बागपत—पुलिस द्वारा दिनांक 08.11.2020 को मु0अ0स0 573/2020 धारा 279,337,338,427 भादवि में वांछित अभियुक्त 1—सोमवीर पुत्र राजसिंह निवासी डाबला झज्जर हरियाणा को गिरफ्तार किया गया। गिफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक ट्रक नम्बर एचआर—63सी—5771 बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना बागपत पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।